(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :

शा0सं0-3412 ई/तेरह-105/59 दिनांक 27 नवम्बर 1959 के तहत मुख्यालय पर राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 को विभागाध्यक्ष के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है और उनके सहयोगार्थ राज्य स्तर पर एक उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 मुख्यालय पर कार्यरत हैं।

प्रदेश में सात क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद) क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिक कार्यकारी ईकाई के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्मिकों के नियंत्रक अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त हैं और विभागीय कार्यकलापों को उनके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन उप क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी व प्राविधिक पर्यवेक्षकों के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है।